



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० 0135—2645249 फैक्स नं० 0135—2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक ६३० /माझे०एवं०वि०/पिटकुल/पी-५

दिनांक : १३.०४.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मिकों, पारिवारिक पेन्शनरों तथा उनके आश्रितों के चिकित्सालय में भर्ती के दौरान/वाहय रोगी के रूप में उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा—व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित चिकित्सालय को निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 12.04.2023 से 31.03.2025 तक की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की जाती हैः—

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	चिकित्सालय का पता	मान्यता की अवधि	उद्देश्य
1.	साईं हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर	कालादुंगी रोड, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी	दिनांक 12.04.2023 से दिनांक 31.03.2025 तक	Medicine, Orthopedics, General Surgery, Paediatrics, Obs & Gynae, Cardiology Departments से सम्बन्धित रोगों हेतु

शर्तें/प्रतिबन्ध

- उक्त चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती के दौरान/वाहय रोगी के रूप में चिकित्सा कराने पर हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं० 2088—एनजी०/११/एसईबी०(चतुर्थी)२९—एनजी०-११/७८, दिनांक 24.05.78, आदेश संख्या 5731/निदे०(माझे०)उपाकालि/अनु०—का०ई०/एम—१ दिनांक 22.08.06 एवं समय—समय पर जारी एतदविषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।
- उक्त चिकित्सालय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के साथ हुए अनुबन्ध के अनुरूप सी०जी०ए०स० दरों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन पिटकुल के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हुये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा।
- कारपोरेशन आदेश सं० 5731/निदे०(माझे०)/उपाकालि/अनु०—का०—ई०/एम—१, दिनांक 22.08.2006 में विहित उपचार के अतिरिक्त किसी परामर्श—शुल्क अथवा अन्य किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- शल्य—चिकित्सा की दशा में उपरोक्त चिकित्सा संस्थान द्वारा छुट—पुट व्यय जैसे इन्जेक्शन लगाना/ड्रेसिंग कराना/गैस—इक्विपमैन्ट/सहायक/अतिरिक्त नर्सिंग तथा विजिटिंग परामर्श शुल्क, चार्ज नहीं लिया जायेगा। लेकिन प्रयोग की गयी दवाओं तथा अन्य उपयोग की गयी चिकित्सा सामग्री का व्यय देय एवं अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त 'विजिटिंग चिकित्सक परामर्श शुल्क' प्रतिदिन की दर से भी देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
- उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईंन बोर्ड लगायेगा, जो यह दर्शायेगा—“पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/पारिवारिक पेन्शनर्स एवं उन पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय”
- चिकित्सालय द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी—
 - रोगी का नाम, आयु एवं लिंग
 - यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं है तो उसके पिता/पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
 - चिकित्सालय में भर्ती एवं डिसचार्ज की तिथि
 - कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान।
 - रोग का विवरण।
 - कुल प्राप्त की गयी राशि।
 - निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

क्रमशः....2/-

7. प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित—प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा—बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया यथावत रहेगी।
8. पूर्ववर्ती उम्प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं० 4452—ओस-17/पाकालि/2002-11(11)एफ/80, दिनांक 09.12.2002, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1281/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5 दिनांक 20.09.2010 एवं समय—समय पर निर्गत संगत आदेशों के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: ६३० /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-५

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा०ए०आ०—निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. श्री ज्योति प्रसाद, कारपोरेट मैनेजर, साई हॉस्पिटल, मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, कालाडुंगी रोड, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार चुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(आ०)